

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, (संशोधन) 2024 के अन्तर्गत श्रम अधीक्षक, दरभंगा के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) द्वारा 06 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से रु० 3,00,000/- (तीस लाख रुपए) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता/मो० नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्ता का स्थान, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० रमन जी सदा, 31, नरेश सदा, अनु० जाति	उषा देवी, (पत्नी)	1130 30.03.2026	ग्रा०-वैश्य लगमा, पो०-बलथरी, था०-घनश्यामपुर, प्र०-गौड़ा बौराम, जिला-दरभंगा, मो०-8298338614	348857777 58	SBI SBIN001 7827	रु 50,000/- (पचास हजार रुप ए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री के हेल्पर का कार्य
2	स्व० गुड्डू कुमार, 28, राम खेलाबन महता, अनु० जाति	शोभा कुमारी, (पत्नी)	1147 30.03.2026	ग्रा०-खिखरीपट्टी पो०+था०+प्र०-केवटी, जिला-दरभंगा, मो०-7050073550	383827676 0	CBI CBIN02 81563	रु 50,000/- (पचास हजार रुप ए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री के हेल्पर का कार्य
3	स्व० सनोज सदाय, 33, लाल सदाय, अनु० जाति	सरस्वती देवी, (पत्नी)	1153 30.03.2026	ग्रा०+पो०-अधलोम, था०-बहेड़ा, प्र०-अलीनगर, जिला-दरभंगा, मो०-7979919890	987200170 0141497	PNB, PUNB09 87200	रु 50,000/- (पचास हजार रुप ए)	स्वाभाविक मृत्यु, पशुपालन का कार्य
4	स्व० राज कुमार सदाय, 62, छद् सदाय, अनु० जाति	शोभा देवी, (पत्नी)	1154 30.03.2026	ग्रा०+पो०-अधलोम, था०-बहेड़ा, प्र०-अलीनगर, जिला-दरभंगा, मो०-7970754265	370533494 01	SBI, SBIN000 6014	रु 50,000/- (पचास हजार रुप ए)	स्वाभाविक मृत्यु, पशुपालन का कार्य
5	स्व० बौकु सदाय, 58, सोमन सदाय, अनु० जाति	सुकमरिया देवी, (पत्नी)	1157 30.03.2026	ग्रा०+पो०-अधलोम, था०-बहेड़ा, प्र०-अलीनगर, जिला-दरभंगा, मो०-8294907228	466318210 014250	BOI BKID00 04663	रु 50,000/- (पचास हजार रुप ए)	स्वाभाविक मृत्यु, पशुपालन का कार्य
6	स्व० राकेश पासवान, 29, रामनाथ पासवान, अनु० जाति	रूबी कुमारी, (पत्नी)	1166 30.03.2026	ग्रा०-कोलहन्टा, पो०-पटौरी बसंत, था०-मोरो, प्र०-हनुमाननगर, जिला-दरभंगा, मो०-6201633033	356398404 80	SBI, SBIN001 8045	रु 50,000/- (पचास हजार रुप ए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का कार्य

कुल राशि:-रु 3,00,000/-
(तीन लाख रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011"/बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2024 के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-42/2025(अंश-"क")-854

पटना, दिनांक :- ०३/०३/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 3,00,000/- (तीन लाख रूपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, दरभंगा/उप श्रमायुक्त, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

06/03/2026
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti
(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक